न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **29/2018 अपील (राजस्व)**

श्री उदा पिता श्री लालु डांगी, निवासी हेजा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री माधवदास पिता गोवर्धनदास जी वैरागी, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता श्री भेरा डांगी, निवासी हेजा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगा पिता श्री भेरा डांगी, निवासी हेजा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती प्रतापी पिता श्री भेरा डांगी, निवासी हेजा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रंभा पिता श्री भेरा डांगी, निवासी हेजा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मावली, प्रकरण संख्या 19/2014 विविध रास्ता संबंधित अनवान माधवदास वैरागी बनाम उदा डांगी व अन्य दिनांक 12.03.2015 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित : श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 08.07.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में यह निवेदन किया गया है कि मौजा मावली की आराजी संख्या 1900, 1901 अपीलान्ट के मालिकाना हक एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर वह अपने परिवार के साथ में कृषि करता आ रहा हैं। आराजी संख्या 1900 के गत आराजी संख्या 1087मी., 1088मी. थे

एवं यह कुल कृषि योग्य भूमि दर्ज चली आ रही है जिस पर बराबर खेती हो रही हैं। सेटलमेंट के दौरान हाल आराजी संख्या 1900 रकबा 0.03 हैक्टर कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन कर रास्ता गलत दर्ज कर दिया गया हैं। जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सभी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 25.08. 14 को रास्ता खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मावली के यहॉ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.15 का निर्णय पारित किया गया। धारा 251 के तहत रास्ते से व्यथित व्यक्ति को रास्ते से संबंधित प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होता हैं। यदि 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो रास्ता खुलवाने का आवेदन पत्र संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिये संबंधित ग्राम पंचायत को नहीं भेजकर निर्णय पारित कर दिया गया। ऐसा निर्णय बिना क्षेत्राधिकार होने से निरस्त योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी खातेदार की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया गया। जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। हाल आराजी संख्या 1900 के गत आराजी संख्या 1087 मी. व 1088 मी. थे। जिसमें कृषि योंग्य राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज है परन्तु हाल सेटलमेंट के दौरान इस भूमि की प्रकृति में गलत रूप से परिवर्तन कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटीपुर्ण हैं। 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार किसी आराजी से रास्ते के संबंध में अपना अधिकार हो तो उसको सर्वप्रथम दिवानी न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारो की घोषणा कराने के उपरान्त ही रास्ता खुलवाने के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकार हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर निषेधाज्ञा का निर्णय दिया हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुसम्मात चतरू बेवा भेराजी डांगी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया हुआ था। परन्तु चतरू का निर्णय के पश्चात् निधन हो जाने की वजह से उसके उत्तराधिकारी को रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.15 अपास्त फरमाया जाकर कानुनी अनुतोष अपीलान्ट को प्रदान कराया जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 12.03.15 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.18 को हुई जिसकी नकल दिनांक 11.07.18 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः देरी में प्रस्तुत होने का युक्तियुक्त एवं उचित आधार माना जाकर अन्दर अवधि शुमार फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बावजुद नोटिस तामिल के विपक्षी संख्या 2 से 5 तक अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध दिनांक 24.06.19 को एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर विधिवत पत्रावली दर्ज कर अपीलान्टगण खातेदारो को विधिवत नोटिस जारी कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यो व अभिलेख के मुकाबले आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.15 को उपतहसीलदार मावली को भी मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया कि आराजी

संख्या 1899 एवं 1901 के मध्य आराजी संख्या 1900 किस्म रास्ता हैं। जो आराजी संख्या 1846 की लम्बाई की मेड पुर्व से पश्चिम की तरफ जाता हैं। उक्त रास्ते को मौके पर बन्द कर दिया गया हैं। खातेदारो को अपना पक्ष रखने हेतु पुर्ण अवसर प्रदान किया गया। स्वयं खातेदार उदा द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो अपना जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट उदा स्वयं उपस्थित था। अब न्यायालय में झुठे कथन कर रहा है जो कि सरासर गलत होने से अपील खारीज होने योग्य हैं। आराजी संख्या 1900 को रास्ते के रूप में वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही हम प्रार्थी रेस्पोडेंट के पूर्वजो द्वारा उपयोग किया जाता रहा हैं। इसी रास्ते से हमारे हल बैल मवेशी ले जाये जाते थे एवं ले जाया जा रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद के बाहर प्रस्तुत करने से अपील खारीज योग्य हैं। अपीलान्ट उदा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं लिखित रिपोर्ट देकर मुझ रेस्पोडेंट का रास्ता माना हैं व उसे खोलने हेतु पटवारी हल्का मावली व न्यायालय तहसीलदार मावली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खोलने हेतु कहने के बाद यह अपील न्यायालय आप में मनगढंत एवं झुठे तथ्यो पर पेश की है जो खारीज होने योग्य हैं।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अपने अधिकार क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि पैतालिस दिन तक ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ही तहसीलदार को आदेश पारित किये जाने का अधिकार हैं। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। सीधे ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारो को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया हैं। साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये जाने का अवसर नहीं दिया गया हैं। वास्तविकता यह है कि हाल आराजी संख्या 1900 जो कि अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारो के नाम खातेदारी से दर्ज होकर मौके पर काश्त हो रही हैं एवं हाल आराजी सख्या 1900 के साबिक आराजी संख्या 1087 मी. एवं 1088मी. थे। जो कृषि भूमि थी। इन आराजीयातो में कोई रास्ता नहीं था। राजस्व अभिलेख में भी यह आराजीयात कृषि योग्य दर्ज थी किन्तु सेटलमेंट के दौरान इस भूमि की प्रकृति में गलत रूप से परिवर्तन कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटीपुर्ण हैं। किसी आराजी से रास्ता के संबंध में अपना अधिकार हो तो उसको सर्वप्रथम दीवानी न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारो की घोषणा कराने के उपरान्त ही रास्ता खुलवाने के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज करना फरमावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर डी 1996 पेज 483 का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा मावली की आराजी संख्या 1901 एवं आराजी संख्या 1899 के बीच में स्थित आराजी 1900 किस्म रास्ता होकर इस रास्ते का उपयोग हमारे पुर्वजो के समय से आराजी संख्या 1846 में आने जाने के रूप में उपयोग उपभोग कदीम से करते रहे हैं। इस रास्ते से हमारी कृषि भूमि आराजी संख्या 1846 में जाने हेतु बैल मवेशी ट्रेक्टर बैलगाड़ी खाद बीज वगैरा ले जाने हेतु उपयोग किया जाता रहा हैं। परन्तु अगस्त 2014 में आराजी संख्या 1901 के खातेदार अपीलान्ट उदा पिता लालु डांगी द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उसपर बाड़ कर दी हैं। जबकि उक्त

रास्ता उदा को बन्द करने का अधिकार नहीं था। हमारी जमीन पर आने जाने का रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारानो को सुनकर भू अभिलेख निरीक्षक मावली एवं नायब तहसीलदार मावली से मौके की रिपोर्ट मंगवाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपने आदेश दिनांक 12.03.15 से आराजी संख्या 1900 किस्म रास्ता को बन्द नहीं किये जाने के आदेश अपीलान्ट को दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि 251 रा. टी.ए. के तहत प्रथम प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में दिया जाना चाहिये था। बिना ग्राम पंचायत की सुनवाई के अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार नहीं था। जबकि व्यथित व्यक्ति प्रार्थना पत्र चाहे ग्राम पंचायत में लगाये अथवा बिना ग्राम पंचायत में लगाये सीधे ही तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता हैं। द्वितीय कथन यह किया गया है कि सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था जबकि हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ते से अतिक्रमण हटाने का प्रकरण हैं। नाही की कोई नया रास्ता चाहने बाबत्। जहॉ तक हाल आराजी संख्या 1900 के साबिक नम्बर 1087 मी. व 1088मी. में रास्ता दर्ज नहीं था परन्तु रेस्पोडेंट के पूर्वजो द्वारा इसी आराजी में से अपनी खातेदारी भूमि पर आया जाता रहा हैं। इसी आराजी में से रास्ते का उपयोग किया जाता रहा हैं। जिस पर ही सेटलमेंट में सेटलमेंट अधिकारी द्वारा मौके पर रास्ता होने से अभिलेख में रास्ता कायम किया गया। यह निर्बाध सत्य है कि आराजी संख्या 1900 अपीलान्ट के खाते दर्ज हैं। परन्तु रेकार्ड में किस्म रास्ता होकर नक्शे में भी रास्ता दर्ज हैं। इसी रास्ते का उपयोग रेस्पोडेंटगण करते आ रहे हैं। अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1846 पर जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा

उपस्थित होकर उपतहसीलदार मावली से मौका कमीश्नर नियुक्त किये जाने हेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसकी रिपोर्ट पर ही उपतहसीलदार मावली से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रत्येक कार्यवाही पर अधिनस्थ न्यायालय में उसके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। अपील में धारा 5 का गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर झुठा शपथ पत्र दिया गया हैं। अथवा अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें। अपने कथनो की ताईद में आर आर डी 2003 पेज 536, आर आर डी 2007 पेज 363, आर आर डी पेज 246, आर आर टी 2019 (1) पेज 600, एआईआर 1995 मद्रास पेज 179, एआईआर 2000 मद्रास पेज 512 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस को देखने पर प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट प्रतित होता है कि आराजी संख्या 1900 रास्ता अंकित है परन्तु संलग्न जमाबन्दी में उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। परन्तु रेस्पोडेंटगणो की खातेदारी आराजी संख्या 1846 में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी वर्तमान में नहीं हैं। अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर उपतहसीलदार मावली द्वारा मौका देखा गया। जिसमें भी आराजी संख्या 1900 को रास्ता ही बताया गया है जिस पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर रखा हैं। जहॉ तक अपीलान्ट द्वारा अपने कथनो में यह कहा गया है कि आराजी संख्या 1900 के गत आराजी संख्या 1087मी. व 1088मी. थे जो कुल कृषि योग्य भूमि दर्ज चली आ रही थी जिसमें कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। नवीन सेटलमेंट में गलती से रास्ता अंकित कर दिया गया है जो सेटलमेंट को अधिकार नहीं था। न्यायालय का यह मानना है कि सभी कदीमी रास्तो का रेकार्ड में दर्ज होना आवश्यक नहीं है। खेतो पर जाने के ऐसे सैकड़ो और हजारो रास्ते विद्वमान है जिनका रेकार्ड में अंकन नहीं है। यदि

काश्तकार कदीम से अपने खेत पर किसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है तो धारा 251 अधिनियम के अन्तर्गत उसे कायद रखवाये जाने का उसे पुरा अधिकार हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह साबित नहीं किया है कि रेस्पोडेंट द्वारा अपने काश्त की आराजी संख्या 1846 पर जाने हेतु अन्य किसी रास्ते का उपयोग किया जाता रहा हैं। मात्र इस आधार पर कि आराजी संख्या 1900 मेरे खाते में हैं जिसके आधार पर अन्य खातेदार इस आराजी में से नहीं जा सकते हैं। यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा अपने प्रकरण संख्या 19/14 विविध रास्ता संबंधी में प्रदान किये गये आदेश दिनांक 12.03.15 में कोई विधिक त्रुटी नहीं पायी जाने से अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर